UPHM010005272026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ०कोड– यू०पी० 06459

जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 256/2026

नरेश कुमार पुत्र श्री बृजनन्दन निवासी मु० लुधियातपुरा गुलाबनगर कस्बा व थाना राठ, जिला हमीरपुर (उ०प्र०)। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उ०प्र० सरकार लखनऊ द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हमीरपुर जिला हमीरपुर।

.....विरुद्ध पक्ष

मु०अ०सं०–150/2023
धारा–147, 323, 325, 452,
427, 504, 506 भा०दं०सं०
व 3(1)द/ध, 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट
थाना–राठ, जिला– हमीरपुर।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **नरेश कुमार** (उपरोक्त) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–150/2023, धारा–147, 323, 325, 452, 427, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)द/ध, 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट, थाना–राठ, जिला– हमीरपुर के मामले में प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र नागर नट पुत्र नवल किशोर निवासी गुलाब नगर लुधियातपुरा थाना राठ का रहने वाला है। धर्मेन्द्र प्रजापति व भूपेन्द्र प्रजापति उसके दरवाजे के सामने आए दिन शराब पीकर गाली–गलौज करते थे, जिसका उसने कई बार विरोध किया। दिनांक 01.04.2023 को समय करीब 09:00 बजे रात में वह घर के अन्दर था तभी धर्मेन्द्र, भूपेन्द्र, राजकुमार, हल्के, नरेश कुशवाहा, नीरज प्रजापति उसके घर में घुस आए और आते हि उसके घर के अन्दर रखा सामान की तोड़फोड़ कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने लगे, उसने उपरोक्त लोगों को तोड़फोड़ करने से रोक तो सभी ने उसे व उसकी पत्नी रीता व बच्चों को लाठी–डण्डों व बेल्टों से बुरी तरह से मारा–पीटा, जिससे उसके सिर में चोट आई तथा उसकी पत्नी रीता के हाथ में चोट आ गई तथा बच्चे भी घायल हो गए। उपरोक्त सभी लोग कह रहे थे कि यदि थाने पर शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। उपरोक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह उपरोक्त मुकदमें में सर्वथा निर्दोष है, मुहल्ले की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। वह उपरोक्त मुकदमा में जमानत पर रहा है और इसके पहले कभी भी अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। उसने उपरोक्त प्रकरम के वादी मुकदमा के साथ न तो मारपीट की है और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है। उसको मुहल्ले के मुखालफीन द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है। उसकी कोविड 19 की महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो गयी, जिससे उसका घर भुखमरी की कगार पर आ गया, जिससे वह अपने बच्चों के साथ मजदूरी करने हटावा ईट भट्ठे पर ईट पाथने चला गया और बच्चों सहित ईट भट्ठे पर मजदूरी करता रहा है, जिस वजह से उपरोक्त मुकदमा में उपस्थित नहीं हो पाया है। वह दिनांक 12.02.2026 को माननीय

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.03.13 10:49:37 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में उपस्थिति होकर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध है। उसको जमानत मिलने के बाद न्यायालय में हर तारीख पर उपस्थित होता रहेगा तथा मुकदमा के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उसका जेल जाने के बाद यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी को नोटिस तामील है। किन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त नरेश कुमार पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 01.04.2023 को समय करीब 09:00 बजे रात, स्थान मकान वादी बहद मु० लुधियातपुरा, गुलाबनगर कस्बा व थाना राठ, जिला हमीरपुर में वादी मुकदमा देवेन्द्र नागर नट के घर में घुसकर घर के अन्दर रखे सामान को तोड़फोड़ करते हुए उससे, उसकी पत्नी रीता व बच्चों के साथ लाठी–डण्डों व बेल्टों से बुरी तरह से मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुरी–बुरी गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

उपरोक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था, किन्तु नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण दिनांक 07.11.2025 को अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया, जिस पर अभियुक्त के दबिश पर दस्तयाब न होने की आख्या प्राप्त हुई, तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 03.12.2025 को गैर जमानतीय वारण्ट व धारा–82 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी तथा दिनांक 18.12.2025 से दिनांक 31.01.2026 तक लगातार अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट व धारा–83 दं०प्रं०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत वारण्ट रिकाल प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2026 को निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसका धारा–346 बी०एन०एस०एस० का वारण्ट बनाकर जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध किया गया। अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किए बिना, अभियुक्त को सशर्त जमानत देने का आधार पर्याप्त है एवं जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः आवेदक/अभियुक्त **नरेश कुमार** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु०–50,000/–** रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष आरोप, बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 व साक्षी के उपस्थित आने पर उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 11.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश**(**एससी/एसटी**)** एक्ट**,** हमीरपुर।